GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांकः– 8/27–2020 पी0एस0 (2)
दिनांक,पंचकूलाः– 6-5-2021

विषयः– हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 10 की प्रति क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे।

विषयांकित मामले में आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 10 के 'हिन्दी व अंग्रेजी' के नियमों के प्रति भेजकर निर्देश दिये जाते है कि आप अपने अधीनस्थ सभी निजी विद्यालयों में NCRET की किताबें लागू करवाना सुनिश्चित करे।

इन आदेशों की दृढता से पालना करवाई जाए।

संलग्नः– नियम की प्रति।

6/5/2021
अधीक्षक प्राईवेट स्कूल
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन–क्रमांक–सम
दिनांक, पंचकूलाः–

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री।
2. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. निजी सचिव/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
4. पी0ए0/ महानिदेशक, मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
5. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I/ II
6. संयुक्त निदेशक, आई0टी0 सैल।

-sd-

अधीक्षक प्राईवेट स्कूल
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

e:\asst. anil saini 2020\amended rules 2020\hindi letter.docx

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 11-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 16, 2021 (PHALGUNA 25, 1942 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मार्च, 2021

संख्या सा०का०नि० 67/ह०अ० 12/1999/धा०–24/2004.– हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का 12) की धारा 24 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में, नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"10. पाठ्यविवरण में उपबन्धित की जाने वाली विषय–वस्तु। धारा 3 तथा 24 (2) (क)– प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यविवरण विनिर्दिष्ट करते समय, निदेशक या सम्बद्धक बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, अधिकथित की जाने वाली विषय–वस्तु तथा पाठ्य पुस्तकों के बारे में विनिश्चय करेगा।"।

डॉ० महावीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 1st March, 2021

No. S.O. 67/H.A. 12/1999/S. 24/2004.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana School Education Rules, 2003, for Rule 10, the following rule shall be substituted namely :—

   "10 Matter to be provided in the syllabi section 3 and 24(2)(9)— The Director of Affiliating Board, as the case may be, while specifying the syllabi for primary, middle, secondary and senior secondary stage shall decide about the contents and text books to be laid down."

DR. MAHAVIR SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
School Education Department.

9087—C.S.—H.G.P., Pkl.